

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110001
दिनांक 26/08/2025

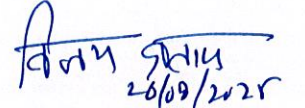
कार्यालय आदेश

इस मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या A/22012/7/2025-सी एण्ड डब्ल्यू दिनांक 25/07/2025 में आंशिक सशोधन के द्वारा निम्नलिखित अधिकारी को सतर्कता/एआईएचएल अनुभाग (Vigilance/AIAHL) से संबंधित आरटीआई सूचना प्रदान हेतु केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप नामित किया जाता है:-

क्र.स.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी	अनुभाग
1.	श्री राकेश कुमार, अवर सचिव, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी	सतर्कता/एआईएचएल अनुभाग Vigilance/AIAHL Section

2. यदि कोई, सीपीआईओ या अपीलीय अधिकारी किसी विशेष अवधि के लिए सूचना देने/अपील का निपटारा करने में किसी कारणवश अनुपलब्ध है, तो उनसे संबंधित आरटीआई आवेदन/अपील को उस विशेष अवधि के दौरान उनके लिंक अधिकारी द्वारा निपटारा जा सकता है। लिंक अधिकारियों के संबंध में प्रशासनिक प्रभाग, एमओसीए द्वारा जारी आदेशों का पालन किया जा सकता है।

3. यह संयुक्त सचिव (एसजी) के अनुमोदन से जारी किया गया है।


26/08/2025

(विजय प्रताप सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली: 24610364

vijay.pratap@nic.in

प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. सभी सम्बद्ध अधिकारी
2. माननीय नागर विमानन मंत्री के निजी सचिव
3. माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री के निजी सचिव
4. सचिव के प्रधान निजी सचिव
5. नागर विमानन मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग
6. तकनीकी निदेशक, एनआईसी सेल, राजीव गांधी भवन।
7. आईटी सेल, मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. कार्यालय आदेश बंडल